सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 57/14

सुखू उर्फ सुखाराम पुत्र श्री बुधाराम जाति नायक निवासी चक 67 एन पी0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलार्थी

बनाम

1.तुलछी देवी पत्नी श्री चेतनराम जाति नायक निवासी चक 67 एन पी तह0 रायसिंहनगर।
2.गोरखाराम पुत्र चेतन राम जाति नायक निवासी चक 67 एन पी तह0 रायसिंहनगर।
3.मुलाराम पुत्र चेतनराम जाति नायक निवासी चक 67 एन पी तह0 रायसिंहनगर।
4.किशना राम पुत्र चेतनराम जाति नायक निवासी चक 67 एन पी तह0 रायसिंहनगर।
5.तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
6.नायब तहसीलदार, समेजा कोठी

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 20 तहसीलदार, (राजस्व) रायसिंहनगर
दिनांक 24–08–09

उपस्थित : 1. श्री सुभाष मिढा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 5–6
3. रेस्पो0 सं0 1 से 4 के विरूद्व एकपक्षीय

आदेश **दिनांक :19–06–15**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के सक्षम प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अपीलाधीन रकबा चक 67 एन पी का मु0 नं0 13 प0 नं0 249/346 में कुल रकबा 2.799 है0 भूमि का नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–8–99 को स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् मौका नहीं दिया गया है और न ही कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व पंजीकृत वसीयत को नहीं देखा गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व कानूनी प्रक्रिया का पालन नही किया गया है और न ही पंजीकृत वसीयत को ध्यान में रखा गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् हैं। हस्तक्षेप की गुंजाईश नही है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 20.08.2009 की प्रति तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा पटवारी हल्का 68 एनपी को अगर कोई स्थगन नही हो तो पालना के निर्देश दिये गये है। यह सही है कि इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सभी सम्बन्धित पक्षकार को साक्ष्य में सुनवाई का अवसर नही दिया गया है और न ही पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.03.1991 को भी ध्यान में रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में विधिक त्रुटि की गई प्रतीत होती है। अतः प्रकरण में गहन जांच की आवश्यकता होने से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्बन्धित सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.03.1991 को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण में गहन जॉच कर, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.07.2015 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 19–06–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।
19/6/15